



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

इन्दौर 452001
दूरभाष : 2523530

क्रमांक/प्रशासन/को.वा.सं./2021/513

दिनांक

23 JUL 2021

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/विभाग प्रमुख
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विषय : कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।

महोदय,

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-3-4/2010/1/4 भोपाल दिनांक 22 जुलाई 2021 के अनुसार मंत्रालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 08 अप्रैल 2021 के माध्यम से प्रदेश के सम्पूर्ण प्रदेश के शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किया जाकर कार्यालयीन समय प्रातः 10:00 से सायं 06:00 बजे तक नियत किया गया था। शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रखने के निर्देश जारी किये गये थे। इसी अनुक्रम में शासन के निर्णय अनुसार उक्त आदेश दिनांक 31.10.2021 तक प्रभावशील रहेगा।

तदनुसार शासन का यह आदेश देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के परीक्षा, गोपनीय, केन्द्रीय मूल्यांकन एवं कम्प्यूटर सेंटर को छोड़कर सभी कार्यालयों पर प्रभावशील रहेगा। इसी प्रकार शनिवार के दिन अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार कार्यालय में बुलाया जा सकेगा।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए अपने अधीनस्थों को भी इस संबंध में सूचित करें।

आदेशानुसार


कुलसचिव


पू.क्रमांक/प्रशासन/को.वा.सं./2021/513

दिनांक

23 JUL 2021

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. राज्यपाल मध्यप्रदेश के अपर सचिव, राजभवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा इंदौर संभाग इंदौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वित्त नियंत्रक, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त अधिकारीगण, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
7. परीक्षा नियंत्रक, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. प्रभारी आई.टी. सेंटर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



उप कुलसचिव (प्रशासन)